703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 703वीं बैठक दिनांक 18/12/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 10584/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Baarbandh-3 Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 672), Village- kadari, tehsil & District Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 681वीं बैठक दिनांक 25/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 810वीं बैठक दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के बीचोबीच एक स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र.(Online) समिति के समक्ष उपस्थित रहे। प्रकरण के पुनः परीक्षण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रीकी सेवा संभाग छतरपुर का पत्र

703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

क्रमांक 2249 दिनांक 18/12/2023 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि खसरा क्रमांक 672 में स्थित स्टाप डेम (रपटा) के अप स्टीम एवं डाउन स्टीम में 150 मी. छोडकर खनन करने पर स्टाप डेम पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा। समिति द्वारा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण की समीक्षा की गई। तदानुसार इस प्रकरण में लीज क्षेत्र में स्थित स्टाप डेम के अप स्टीम पर 250 मी. एवं डाउन स्टीम पर 500 मी. का सेटबेक छोडने के पश्चात 0.41 हे. क्षेत्र खनन हेतु बचता है तथा डीएसआर के आधार पर इसमें से 7200 घन मीटर रेत का खनन किया जा सकता है। **अतः पूर्व बैठक में अनुशंसित उत्पादन मात्रा 7200 घन मीटर प्रतिवर्ष के खनन की अनुशंसा की जाती है।**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.91 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.41 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.38 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए सरकारी हाई स्कूल, कदारी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी |	38,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	600
2	ग्राम कादरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1200
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।			

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

2. <u>Case No 10161/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,040 cum per year) (Khasra No. -935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं बैठक दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 810वीं बैठक दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 250 मीटर पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार रपटा ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की

गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

3. Case No 10528/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Kulpura River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Kulpura, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 681वीं बैठक दिनांक 25/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 810वीं बैठक दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज की मई 2022 की इमेज अनुसार खदान क्षेत्र पूर्ण Submergence में है जिसमें रेत खजिन का उत्खनन किया जाना संभव प्रतीत नही होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है । प्रकरण पुर्न समीक्षा हेतु समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी तथा उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, (ऑनलाईन) मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. समिति के समक्ष भी उपस्थित थे। खनिज अधिकारी के पत्र दिनांक 23/09/2023 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जिसकें अनुसार नदी में पानी कम होने की स्थिति में खनन योग्य मात्रा में रेत उपलब्ध होना बताया गया। समिति द्वारा अप्रैल माह की गुगल ईमेज के अवलोकन में देखा गया कि नदी में आशिंक रूप से उथलापन हैं। समिति द्वारा इस बात का भी संज्ञान लिया गया कि इस क्षेत्र में नदीं की गहराई काफी कम है। यदि इस क्षेत्र में समय समय पर रेत न निकाली जायें तो आस–पास की कृषि भूमी में जल का भराव होने की अशंका है, साथ ही किनारो पर भूमी कटाव भी बडेगा । अतः नदी से एक निश्चित मात्रा में रेत खनन करना आवश्यक होगा। इस प्रकरण में मात्र 1000 घन मीटर प्रतिवर्ष रेत का खनन प्रस्तावित है। **अतः प्रस्तावित मात्रा** 1000 घन मीटर प्रतिवर्ष **रेत उत्खनन् हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.58 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.73 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए उच्चतर माध्यामिक विद्यालय बनवार के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	10,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	200
2	ग्राम कलपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

4. Case No 10524/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Simri Kirat River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 93), Village Simri Kirat, Tehsil & District Damoh (M.P.)

प्रस्तावित खदान का समिति की 681वीं बैठक दिनांक 25/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 810वीं बैठक दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र से 56 मीटर पर एक

रेल्वे ब्रिज परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार रेल्वे ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।
प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमलें द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

5. <u>Case No 10541/2023 Shri Sushil Pathak, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rihuta Sand Mine in an area of 1.00 ha. (9600 cum per year) (Khasra No. 381), Village- Rihuta, Tehsil- Deemarkheda, District- Katni (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 680वीं बैठक दिनांक 15/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 810वीं बैठक दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 480 मीटर पर एक पक्का कैनाल रोड़ ब्रिज परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार पक्के कैनाल रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।
प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी

जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

6. <u>Case No 10285/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gulidand Sand Mine in an area of 5.00 ha. (68400 cum per year) (Khasra No. 688), Village-Gulidand, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)</u>

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 115 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए ।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- समिति द्वारा प्रस्तावित खदान की अनुशंसा सेक की 677 वीं बैठक दिनांक 12/09/23 का की गई थी ।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि
यह खदान **केवई नदी** में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है एवं 115 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।
प्रकरण की पुर्न समीक्षा करने पर समिति के समक्ष संज्ञान में लाया गया कि इस प्रकरण में मूल पर्यावरण स्वीकृति डिया द्वारा जारी की गई थी जिसें बाद में सिया द्वारा अन्य लीजी को हस्तांन्तरित

किया गया। प्रकरण के पुनः परीक्षण में परियोजना प्रस्तावक खनिज निरीक्षक सुश्री ईशा वर्मा, द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग रीवा का पत्र क्रमांक 1358 दिनांक 19/10/2023 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के पास स्थित पुल एवं पहूंच मार्ग से अप स्ट्रीम की ओर 200 मी. एवं डाउन स्ट्रीम की ओर 300 मी. छोडकर खनन कार्य करने पर पुल एवं पहूंच मार्ग पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा। समिति द्वारा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण की समीक्षा की गई। तदानुसार इस प्रकरण में लीज क्षेत्र के निकट स्थित पुल एवं पहूंच मार्ग के अप स्ट्रीम पर 250 मी. एवं डाउन स्टीम पर 500 मी. का सेटबेक छोडने के पश्चात तथा डीएसआर के आधार पर इसमें से 6800 घन मीटर रेत का खनन किया जा सकता है। **अतः पूर्व बैठक में अनुशंसित उत्पादन मात्रा 6800 घन मीटर प्रतिवर्ष के खनन की अनुशंसा की जाती है।**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.03 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.32 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय गुलिदांड़ के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	1,00,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1500
2	ग्राम गुलिडांड के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4500
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

(SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

7. <u>Case No 10179/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Katkona Sand Mine in an area of 3.00 ha. (54,000 cum per year) (Khasra No. 447), Village-Katkona, Tehsil- Kotma, District-Anuppur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Katkona Sand Mine in an area of 3.00 ha. (54,000 cum per year) (Khasra No. 447), Village-Katkona, Tehsil- Kotma, District-Anuppur (MP) [434692]		
परियोजना का खसरा नं.	447, ग्राम – कटकोना, तहसील –	3.00 हेक्टेयर	शासकीय

/लीज क्षेत्रफल	कोतमा, जिला – अनूपपुर, (म.प्र),		
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **केवई नदी** में स्थित है, खदान में से एक नदी की धारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा से एक प्राकृतिक नाला नदी में आकर मिल रहा है तथा 498 मीटर पर डाऊन स्ट्रीम पर एक रेल्वे ब्रिज स्थित है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 54,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
LOI details.	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	कार्या0. जनपद पंचायत, कोतमा, जिला – **अनूपपुर** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 3084 दिनांक **10/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक		

	– **15** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **54,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **54,000** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज विभाग अनुपपुर के पत्र क्रमांक 1733 दिनांक 27/10/2023 के माध्यम से प्रस्तुत दक्षिण–पूर्व मध्य रेल्वें का पत्र दिनांक 27/10/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें सहायक मण्डल अभियंता, दक्षिण–पूर्व मध्य रेल्वें मनेन्द्रगढ द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के निकट (498 मी. दूर) रेल्वे ब्रिज क्रमांक 31 अप व डाउन स्थित है, जो मेजर श्रेणी का है। इस ब्रिज के दोनों ओर 400–400 मी. तक खनन नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकरण में चुकी खनन की दूरी रेल्वे ब्रिज से 498 मी. है अतः किसी प्रकार का सेटबेक छोडने की आवश्यकता नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान को पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति (सिया का पत्र क्रमांक 4114 दिनांक 22/10/2020– उत्पादन क्षमता 67,500 घन मीटर प्रतिवर्ष) प्रस्तुत की गई है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन नहीं हुआ है। अतः वर्तमान परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्तो का पालन विशेष रूप से सीईआर एवं वृक्षारोपण 03 माह की अवधि में पूर्ण कर तथा नवीन अधिरोपित शर्तो का पालन एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से सत्यापित करवाकर सिया को प्रेषित किया जावेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को अधिकतम उत्पादन क्षमता 54,000 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जाता है।

1. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.51 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.50 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम कटकोना के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी |	1,40,000

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	612
2	ग्राम कटकोना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2988

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

8. Case No 10171/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sarangarh Sand Mine in an area of 2.73 ha. (49,140 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Saranggarh, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sarangarh Sand Mine in an area of 2.73 ha. (49,140 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Saranggarh, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP) [434689].		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	420, ग्राम – सांरगगढ़, तहसील – कोतमा, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	2.73 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **केवई नदी** में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के कारण तथा 225 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज अप स्ट्रीम मे स्थित है। अतः रोड ब्रिज/डूबा होने के कारण सेटबेक 1.09 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.63 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 49,140 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 49,140**		

	घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.73 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, पक्का रास्ता इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैतहरी, तहसील– जैतहरी, जिला – **अनूपपुर** का अनापत्ति प्रमाण–पत्र **11/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक – **13** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–49,140 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 49,140 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज विभाग अनुपपुर के पत्र क्रमांक 1695 दिनांक 19/10/2023 के माध्यम से प्रस्तुत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा का पत्र क्र.1356 दिनांक 19/10/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के निकट स्थित पुल एवं पहूंच मार्ग के अप स्ट्रीम में 200 मी. एवं डाउन स्ट्रीम में 300 मी. तक खनन नहीं किया जायें। इस प्रकरण में निकटतम संरचना से उपरी जलधारा में 250 मी. का सेटबेक छोडा गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान को पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति (सिया का पत्र क्रमांक 6099 दिनांक 09/02/2021– उत्पादन क्षमता 36,855 घन मीटर प्रतिवर्ष) प्रस्तुत की गई है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन नहीं हुआ है। अतः समिति प्रस्तावित करती है कि जिला प्रशासन के माध्यम से पूर्व खदान संचालकों द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर क्षेत्र के पर्यावरण उन्नयन हेतु उपयोग की जायें तथा वर्तमान परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्तो का पालन विशेष रूप से सीईआर एवं वृक्षारोपण 03 माह की अवधि में पूर्ण कर तथा नवीन अधिरोपित शर्तो का पालन एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से सत्यापित करवाकर सिया को प्रेषित किया जावेगां। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को अधिकतम उत्पादन क्षमता 36,855 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जाता है।

1. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.23 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.76 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.28 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय, गढ़ी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी |	1,28,000

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3276 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1500
2	ग्राम सारंगढ़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1776

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

9. <u>Case No 10172/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sitapur Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 13), Village-Sitapur, Tehsil- Anuppur, District-Anuppur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd

/संस्थान का नाम व पता	Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sitapur Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 13), Village-Sitapur, Tehsil- Anuppur, District-Anuppur (MP) [434682]		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	13, ग्राम – सीतापुर, तहसील – अनूपपुर, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	4.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है, खदान में से नदी की धारा निकल रही है एवं अप स्ट्रीम में 290 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज स्थित है, सेटबेक छोडने के कारण 1.6 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.4 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 72,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान /नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैतहरी, तहसील– जैतहरी, जिला – **अनूपपुर** का अनापत्ति प्रमाण–पत्र **11/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **41** के सरल क्रमांक – **09** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 72,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज विभाग अनुपपुर के पत्र क्रमांक 1886 दिनांक 07/12/2023 के माध्यम से प्रस्तुत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा का पत्र क्र.1480 दिनांक 06/12/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के निकट स्थित पुल एवं पहूंच मार्ग के अप स्ट्रीम में 200 मी. एवं डाउन स्ट्रीम में 300 मी. तक खनन नहीं किया जायें। इस प्रकरण में निकटतम संरचना से उपरी जलधारा में 250 मी. का सेटबेक छोडा गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान को पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति (सिया का पत्र क्रमांक 3975 दिनांक 22/10/2020– उत्पादन क्षमता 54,000 घन मीटर प्रतिवर्ष) प्रस्तुत की गई है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन नहीं हुआ है। अतः समिति प्रस्तावित करती है कि जिला प्रशासन के माध्यम से पूर्व खदान संचालकों द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर क्षेत्र के पर्यावरण उन्नयन हेतु उपयोग की जायें तथा वर्तमान परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन विशेष रूप से सीईआर एवं वृक्षा रोपण 03 माह की अवधि में पूर्ण किया जावें। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एवं निकटतम संरचना की अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिगत प्रकरण को अधिकतम उत्पादन क्षमता 54,000 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया जाता है।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.18 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक स्कूल, सीतापुर आबाद के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,50,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र खमरिया कलां की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	35,000
कुल	1,85,00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

2	ग्राम सीतापुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

10. <u>Case No 10617/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Jharkund Sand Mine in an area of 0.95 ha. (4320 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jharkund, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 684वीं बैठक दिनांक 30/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के बीचोबीच स्थित एक स्टॉप डेम स्ट्रक्चर मय रोड़ ब्रिज परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर मय रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी

जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

11. <u>Case No. 10594/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Amadhana Rayyat-1 Sand Mine in an area of 0.170 ha. (2346 cum per year) (Khasra No. 79), Village-Amthana Ryt, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक–52 के सरल क्रमांक–17 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान लटिया नदी पर ग्राम Amadhana Rayyat-1 के निकट 0.170 हे. क्षेत्रफल पर 2346 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के खनन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व दिशा में 250 मी. पर छोटी जल संरचना स्थित है जो बहाव की दिशा में है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग बैतूल के पत्र क्रमांक 1739 दिनांक 19/10/2023 के माध्यम से प्रस्तुत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–02

703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

बैतूल का पत्र क्र. 2062 दिनांक 19/10/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 100 मी. दूर ग्रामीण यांत्रीकी विभाग द्वारा 1.50 मी. ऊचाई का एक स्टाप डेम पानी रोकने के लिये निर्मित किया गया था, जो वर्तमान में अनुपयोगी एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा रेत खदान से रेत निकालने पर उक्त संरचना को कोई क्षति नहीं पहूचेगी। समिति द्वारा इस बात का भी संज्ञान लिया गया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र मात्र 0.170 हे. का है एवं प्रस्तावित खनन मात्रा 2346 घन मीटर प्रतिवर्ष है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में प्रस्तावित रेत खनन मात्रा 2346 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित है।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.32 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.55 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	10,000/-

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 404 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	250
2	ग्राम मथनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	154
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।			
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।			

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

12. <u>Case No 10251/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Morgun Sand Deposit in an area of 4.346 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 76/1), Village- Morgun, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के दोनों ओर पक्के ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना, डिप्टी जनरल मेनेजर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के खनन क्षेत्र के उत्तर में पर लगभग 142 मी. पर रोड ब्रिज है एवं लगभग 213 मी. पर स्टाप डेम है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

ब्रिज से 250 मी सेट बेक प्रस्तावित किया गया है, स्टाप डेम से 500 सेट बेक प्रस्तावित किया गया हैं। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 500 घनमीटर की स्वीकृति दी जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो

एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. र्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम मोर्गुन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

13. Case No 10526/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Berkhedi River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Berkheri, Tehsil-Patharia, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 681वीं बैठक दिनांक 25/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 810वीं बैठक दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र से 100 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज एवं 190 मीटर पर एक रेल्वे ब्रिज परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज एवं रेल्वे ब्रिज निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।
प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमलें द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई।

14. Case No 10215/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Koydiya Sand Deposit in an area of 3.023 ha. (800 cum per year) (Khasra No. 47), Village-Koyadiya, Tehsil-Anjad, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में तीन भागों में दिखाया गया जबकि परिवेश पोर्टल पर खदान क्षेत्र का एक ही भाग अपलोड किया गया हैं। अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र के को–आर्डिनेट पुनरीक्षित कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान की गूगल अर्थ ईमेज समिति के समक्ष पुनरीक्षित प्रस्तुत किया जाये,

जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा, साथ ही ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें उसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग बडवानी द्वारा महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण का पत्र क्र. 2647 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम से 250 मी. एवं अप स्ट्रीम से 100 मी. दूर मार्ग मंडवाडा से पिपरीदेव के 5900 मी. पर उच्च स्तरीय पुल निर्माणाधिन है तथा इसकें दोनो ओर 300–300 मी. की दूरी पर कोई भी खनन क्रिया न की जावें। तदनुसार खनन क्षेत्र में अप स्ट्रीम पर 250 मी. एवं डाउन स्ट्रीम पर 300 मी. का सेटबेक छोडकर खनन हेतु अनुमति दी जा सकती है। उक्त अनुसार सेटबेक छोडने के पश्चात 3.023 हे. में से खनन हेतु मात्र 1.264 हे. क्षेत्र बचता है जिसमें से 800 घन मीटर प्रतिवर्ष रेत का खनन किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में प्रस्तावित रेत खनन मात्रा 800 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित है।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रुरिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	5,000/-

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम कोइडीया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

15. Case No 10194/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Nisarpur Sand Deposit in an area of 3.205 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 190), Village-Nisarpur, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश (खदान क्षेत्र के आक्षांश देशांस की संख्या बढाते हुए) एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशाोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशाोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में लगभग 140 मी पर पक्का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मी लंबाई हैं। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 19–20 12570 घन मीटर उत्पादन हुआ था। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसकें माध्यम से खदान क्षेत्र से रेत खनन हेतु आवंटन के लिये अनापत्ति दी गई है। चूकि इस खदान से मात्र 500 घन मी. प्रतिवर्ष रेत खनन प्रस्तावित है तथा पूर्व में 12570 घन मीटर उत्पादन लिया जा चुका है अतः ब्रिज से 250 मी. छोडकर इस खदान से 500 घन मी. रेत खनन करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी

703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. ब्रिज से 250 मी. छोडकर अधिकतम 500 घन मी. रेत खनन की जायेगी ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	5,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम निशारपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर

पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

16. <u>Case No 10216/2023 Shri Rajeev Saxena, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Pati Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 245), Village-Pati, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।
- ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 710 मी पर पक्का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 210 मी लंबाई हैं। **Enforcement and** Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसकें माध्यम से खदान क्षेत्र से रेत खनन हेतु आवंटन के लिये अनापत्ति दी गई है। चूकि इस खदान से मात्र 2500 घन मी. प्रतिवर्ष रेत खनन प्रस्तावित है अतः ब्रिज से 250 मी. छोडकर इस खदान से अधिकतम 2500 घन मी. रेत खनन करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. ब्रिज से 250 मी. छोडकर अधिकतम 2500 घन मी. रेत खनन किया जा सकेगा।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.62 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	5,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	500
2	ग्राम पाटी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय	500

		फलदार प्रजातिया	

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

17. <u>Case No 10208/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Palsud Naveen Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 1007), Village-Palsud, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 672वीं आज दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशाोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित

जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशाोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान गोई नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी मे डूबा हुआ है एंव पक्का मेजर रोड ब्रिज एस.एच.–39 पश्चिम दिशा में स्थित है ब्रिज का स्पान लगभग 160 मी है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसकें माध्यम से खदान क्षेत्र से रेत खनन हेतु आवंटन के लिये अनापत्ति दी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान में 338 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है चूकि इस खदान से मात्र 1200 घन मी. प्रतिवर्ष रेत खनन प्रस्तावित है अतः ब्रिज से प्रस्तावित सेटबेक 338 मी. छोडकर इस खदान से अधिकतम 1200 घन मी. रेत खनन करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक **द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–1200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. ब्रिज से प्रस्तावित सेटबेक 338 मी. छोडकर अधिकतम 1200 घन मी. रेत खनन किया जा सकेगा।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.62 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	5,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	500
2	ग्राम पलसूद नवीन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

18. <u>Case No 10209/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Khajuri Naveen Sand Deposit in an area of 1.344 ha. (600 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Khajuri, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश (खदान क्षेत्र के आक्षांश देशांस की संख्या बढाते हुए) एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशाोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशाोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगभग 70 मी पर स्टाप डेम अप स्टीम में स्थित है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसकें माध्यम से खदान क्षेत्र से रेत खनन हेतु आवंटन के लिये अनापत्ति दी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान में 387 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है चूकि इस खदान से मात्र 600 घन मी. प्रतिवर्ष रेत खनन प्रस्तावित है अतः ब्रिज से प्रस्तावित सेटबेक 387 मी. छोडकर इस खदान से अधिकतम 600 घन मी. रेत खनन करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक **द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. ब्रिज से प्रस्तावित सेटबेक 387 मी. छोडकर अधिकतम 600 घन मी. रेत खनन किया जा सकेगा।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	5,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम खजूरी नवीन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

19. <u>Case No 10189/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Dondwada Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (12500 cum per year) (Khasra No. 705), Village-Dondwara, Tehsil- Niwali, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगभग 200 मी पर पक्का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 70 मी लंबाई हैं। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 19–20 12570 घन मीटर उत्पादन हुआ था।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग बडवानी द्वारा महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण का पत्र क्र. 2647 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र से 200 मी. दूर मार्ग सेंधवा पलसूद से भूलगांव के 150 मी. पर उच्च स्तरीय पुल निर्मित है तथा इसकें दोनो ओर 300–300 मी. की दूरी पर कोई भी खनन किया न की जावें। तदनुसार खनन क्षेत्र में अप स्ट्रीम पर 300 मी. का सेटबेक छोडकर खनन हेतु अनुमति दी जा सकती है। उक्त अनुसार सेटबेक छोडने के पश्चात 5.00 हे. में से खनन हेतु मात्र 3.243 हे. क्षेत्र बचता है जिसमें से 12500 घन मीटर प्रतिवर्ष रेत का खनन किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में 3.243 हे. क्षेत्र से अधिकतम रेत खनन मात्रा 12500 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित है।

703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

परियोजना **प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. इस खदान से मात्र 3.243 हे. क्षेत्र से अधिकतम 12500 घन मीटर प्रतिवर्ष मात्रा में रेत खनन किया जा सकेगा।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.82 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.59 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	10,000/-

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
2	ग्राम दौंदवाड़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया			

जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

20. <u>Case No -10417/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Laharghat (Khokar) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (10,000 cum per year) (Khasra No. 106, 107), Village-Lahar Ghat, Tehsil-Guna, District-Guna (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला – गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस. आर के पृष्ठ क्रमांक 09 एवं सरल क्रमांक 08 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान सिंध नदी पर ग्राम लहरघाट (खोंकर) के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 119 मी पर एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। पर्यावरण प्रस्तावक ब्रिज से सुरक्षित दूरी जहां से उत्खनन किया जा सकता है, के संबंध में संबंधित विभाग से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करगें।
प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी

जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमलें द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई।

21. <u>Case No -10596/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kamta River Sand Mine in an area of 4.00 ha. 72,000 cum per year) (Khasra No. 685), Village-Kamta, Tehsil-Jaitpur, District-Shahdol (MP) [432407]</u>

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरिक्षक, शहड़ोल समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहड़ोल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक 13 एवं सरल क्रमांक 32 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान कुनुक नदी पर ग्राम कामता के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगभग .127 मी पर एक मेजर रोड ब्रिज है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है।
- समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा खनिज विभाग शहडोल द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग रीवा का पत्र क्र. 1527 दिनांक 15/12/2023

प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि पुल एवं पहूंच मार्ग के दोनों तरफ 500 मी. अप स्ट्रीम एवं 500 मी. डाउन स्ट्रीम से रेत की खुदाई की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के अप स्ट्रीम पर 500 मी. का सेटबेक छोडने पर कुल 1.5 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है।

- समिति ने परिक्षण के दौरान यह भी पाया कि इस प्रकरण में गत वर्षो में खनन कार्य किया गया है इस संबंध में सिया द्वारा पूर्व में **प्रकरण क्रमांक 7699/2020,** पत्र क्रमांक 4493 दिनांक 27/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है इसकी समयावधि 30 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है।
- चुकी इस प्रकरण में सिया द्वारा पूर्व में खनन कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें रेत की मात्रा 39,600 घन मी. दी गई थी अतः समिति द्वारा 1.5 हे. क्षेत्र से समतुल्य मात्रा की सीमा तक खनन की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 39,600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. इस खदान से मात्र 1.5 हे. क्षेत्र से अधिकतम 39600 घन मीटर प्रतिवर्ष मात्रा में रेत खनन किया जा सकेगा।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.22 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 2.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	75,000

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
2	ग्राम कामता के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

22. <u>Case No. - 10374/2023 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Machhawali Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (7,500 cum per year) (Khasra No. 1645), Village- Machhaoli, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (M.P.)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री बाला मेहरा, श्री वीरेन्द्र वर्मा खनिज निरिक्षक, **जिला – शिवपुरी** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). के द्वारा दिनांक 30/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – शिवपुरी** के अनुमोदित डी. एस.आर के पृष्ठ **क्रमांक 10 एवं सरल क्रमांक 05 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान **बिलरउ नदी** पर ग्राम **मछावली** के निकट **3.50** हे. क्षेत्रफल पर 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स

के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला शिवपुरी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1176 दिनांक 29/09/23 द्वारा खदान क्षेत्र के नवीन अतिरिक्त एवं संशोधित अक्षांश–देशांश प्रस्तुत किये गये। संशोधित सूची पत्र/ प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में पूर्णतः जल भराव देखा गया एवं रोड ब्रिज 219 मी. की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में 500 मी. का गैर खनन क्षेत्र सरफेस मेप में दर्शाया है। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि मार्च,अप्रैल एंव मई माह में नदी में पानी नही रहता है। जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

23. <u>Case No 10598/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Mathni Sand Mine in an area of 0.860 ha. (5670 cum per year) (Khasra No. 78), Village-Mathni, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद कुमार धावई, कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड एवं प्रभारी खनिज अधिकारी श्री **बी. के. नागवंशी**, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **क्रमांक–52 के सरल क्रमांक–27 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान माचना नदी पर ग्राम Mathni के निकट 0.860 हे. क्षेत्रफल पर 5670 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा

जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में 78 मी पर एक मेजर रोड ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतुल संभाग का पत्र कमांक 5857 दिनांक 25/10/2023 एवं अनुविभागिय अधिकारी लोक निर्माण विभाग , उप संभाग चिचोली का पत्र कमांक 351 दिनांक 12/10/2023 प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत पत्र में ब्रिज से कितनी दूरी पर सुरक्षित खनन कार्य किया जा सकता है के संबंध में स्पष्ट मत नहीं दिया गया है। अतः इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जा सकती तदनुसार आवेदन निरस्त करने की अनुशंसा है।

24. <u>Case No 10413/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL</u>
(प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल (**<u>172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Jirapura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 241, 299), Village-Jirapur, Tehsil-Shamshabad, District-Vidisha (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का समिति की 685वीं बैठक दिनांक 03/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 10411/23) रकबा 5.00 हे. की होना परिलक्षित है । जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.00 हे. होता है तथा प्रकरण बी–1 श्रेणी कें अंतगर्त प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।
प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण

विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

25. <u>Case No 10426/2023 Shri Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय(भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village-Bawadia Kalan, VIDISHA (M.P.)</u> <u>Prior Environment Clearance for Bairagarh Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (12600 cum per year) (Khasra No. 273), Village-Bairagarh, Tehsil-Lateri, District-Vidisha (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 03/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी के साथ श्री पंकज वानखेडे, खनिज निरीक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक)संभागीय कार्यालय विदिशा, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	273(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare
स्थल	VILLAGE- BAIRAGARH, TEHSIL-LATERI, DISTRICT- VIDISHA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान टेम नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 703 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 703 दिनांक 24/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 703 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैरागढ़ जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–37 के सरल क्रमांक–16 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र अप स्ट्रीम पर एक रपटा और डाउन स्टीम पर एक स्टाप डेम है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की

गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

26. <u>Case No -10382/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tajpura (Bapcah) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Tajpura, Tehsil- Maksoodangarh, District-Guna (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, एवं श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, ऑनलाईन जिला – गुना, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). के द्वारा दिनांक 30/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक 29 एवं सरल क्रमांक 19 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान पार्वती नदी पर ग्राम **ताजपुरा** के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में पूर्णतः जल भराव देखा गया एवं रपटा/ब्रिज 36 मी. की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में 250मी. का गैर खनन क्षेत्र सरफेस मेप में दर्शाया है। परियोजना प्रस्तावक /खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च,अप्रैल एंव मई माह में नदी में पानी नही रहता है। जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है।
प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

27. <u>Case No 10411/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL</u> (प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल (**<u>172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Amkheda Sukha Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 114), Village-VILLAGE- AAMKHEDA SUKHA, TEHSIL-NATERAN District-Vidisha (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का समिति की 685वीं बैठक दिनांक 03/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 10413/23) रकबा 5.00 हे. की होना परिलक्षित है । जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.00 हे. होता है तथा प्रकरण बी–1 श्रेणी कें अंतगर्त प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमलें द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई।

28. <u>Case No 10624/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Rampur Sand Quarry in an area of 3.10 ha. (7500 cum per year) (Khasra No. 306/1), Village-Rampur, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के **सरल क्रमांक–1 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान कैल नदी पर ग्राम Rampur के निकट 3.10 हे. क्षेत्रफल पर 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 418 मी पर एक ब्रिज है जिसकी लंबाई 80 मी. है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज विभाग छतरपुर के पत्र क्रमांक 2919 दिनांक 26/10/2023 के माध्यम से प्राप्त अनुविभागिय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु उपसंभाग नौगांव का पत्र क्र. 437 दिनांक 13/12/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुविभागिय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के निकट स्थित पुल के (अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम) सें 500 मी. के भीतर खनन कार्य नहीं किया जायें। इस प्रकरण में खनन क्षेत्र से निकटतम संरचना की दूरी 540 मी. है, अतः किसी प्रकार के सेटबेक की आवश्यकता नहीं हैं । उल्लेखनीय है कि इस खदान को सिया द्वारा पूर्व में 10,000 घन मी. प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 366/ सिया/22 दिनांक 10/05/2022) दी गई थी तथा वर्तमान मांग मात्र 7500 घन मी. प्रतिवर्ष की है अतः इस प्रकरण में प्रस्तावित उत्पादन 7500 घन मी. प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–7500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **खदान से अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–7500 घनमीटर/वर्ष होगी।**
2. **पूर्व ई.सी की शर्तो का पालन प्रतिवेदन 03 माह के भीतर सिया को प्रस्तुत करेगें।**
3. **डीएसआर की संशोधित प्रति अनुमोदन पश्चात सिया का प्रेषित की जायें।**

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.76 लाख प्रति वर्ष ।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय मध्यमिक पाठशाला, जरेंहता कला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	15,000

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3720 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	120
2	ग्राम रामपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3600

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

29. Case No 10623/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Didol Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 818), Village-Didol, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 686वीं भाग–2 बैठक दिनांक 05/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण में सिया की 814वीं बैठक दिनांक 19/10/23 सिया द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दो पर विस्तुत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधनों के परिपालन में सेक समिति द्वारा काई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो सेक समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु सष्ट अनुशंसा की जाये । सिया में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया जिसमें खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज विभाग छतरपुर के पत्र क्रमांक 2919 दिनांक 26/10/2023 के माध्यम से प्राप्त अनुविभागिय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु उपसंभाग नौगांव का पत्र क्र. 437 दिनांक 13/12/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुविभागिय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के निकट स्थित पुल के (अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम) सें 500 मी. के भीतर खनन कार्य नहीं किया जायें। इस प्रकरण में खनन क्षेत्र से निकटतम संरचना की दूरी 500 मी. से अधिक है, अतः किसी प्रकार के सेटबेक की आवश्यकता नहीं हैं । उल्लेखनीय है कि इस खदान को सिया द्वारा पूर्व में 10,000 घन मी. प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 173375/ दिनांक 19/05/2023) दी गई थी तथा वर्तमान मांग मात्र 5000 घन मी. प्रतिवर्ष की है अतः इस प्रकरण में प्रस्तावित उत्पादन 5000 घन मी. प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की जा सकती है।

1. **खदान से अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–5000 घनमीटर/वर्ष होगी।**

2. **पूर्व ई.सी की शर्तो का पालन प्रतिवेदन 03 माह के भीतर सिया को प्रस्तुत करेगें।**
3. **डीएसआर की संशोधित प्रति अनुमोदन पश्चात सिया का प्रेषित की जायें।**
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.98 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय भानपुरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	10,000

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3720 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम दिदोल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2700

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

30. <u>Case No 10612/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Imjhira River Sand Quarry in an area of 4.89 ha. (79218 cum per year) (Khasra No. 236), Village-Imjhira, Tehsil-Tendukheda, District-Narsimhapur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 684वीं बैठक दिनांक 30/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 100 मीटर पर एक स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधन Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bride/public civil structure (including water intake points) on up-sgream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

31. <u>Case No 10474/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक(संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Khera Vijaypur Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (10800 cum per year) (Khasra No. 14), Village Khera Vijaypur, Tehsil Palera, District Tikamgarh. (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 688वीं बैठक दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 816वीं बैठक दिनांक 09/10/23 की राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई केएमएल फाईल अन्य खदान की परिलक्षित हो रही है, जब प्रस्तावित खदान के अनुमोदित खनन् योजना में अंकित अक्षांश देशांश का गूगल इमेज पर परीक्षण किया गया तो खदान का रकबा 10 हे. हो रहा है जबकि प्रस्तावित खदान का एरिया 2.00 हे. ही स्वीकृत है तथा खदान सरफेस मेप के आधार पर भी नही है । अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दो पर विस्तुत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री जेड अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।
खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 450 दिनांक 16/11/2023 के माध्यम से पुर्नरक्षित कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर लीज क्षेत्र का पुर्नअवलोकन किया गया जो स्पष्ट है।

प्रस्तुतीकरण एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान को पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्न शर्तो के साथ अनुशंसा की जाती है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र अहस्ताक्षरित है इसकी पूर्ति की जावेगी।

32. <u>Case No 10466/2023 Shri ARJUN SHRIVASTAVA, OIC-MPSMCL</u> (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल(, **<u>Apollo paradise, Bawadiya Kalan, Near Minal Enclave, Gulmohar, Huzur, Bhopal (M.P.), Prior Environment Clearance for Chhindgaonkachhi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (66000 cum per year) (Khasra No. 63), Village-Chhidgaonkachhi (Chhitgaon), Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का समिति की 687वीं बैठक दिनांक 11/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण में सिया की 816वीं बैठक दिनांक 09/11/23 को जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाये । सिया में जानकारी

प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये, के आधार पर प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अर्जुन श्रीवास्तव, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

- समिति द्वारा माईनिंग प्लान के अक्षांस देशांस के आधार पर बैठक दिनांक 11/10/2023 में उपस्थित माईनिंग अधिकारी ओर परियोजना प्रस्तावक के द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया था तदानुसार खनन योग्य मात्रा की अनुशंसा की गई थी।
- साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थें कि प्रक्रिया अनुसार डीएसआर के संबंधित पृष्ठ पर भी संशोधन कर उसकी प्रति सिया को प्रस्तुत की जावेगी जिसका उल्लेख मिनटस में किया गया है ।
- आज दिनांक प्रस्तुतीकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग अफसर की प्रतिवेदन 20/06/2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें संशोधन का आश्वासन दिया गया है। अतः प्रकरण पुनः पूर्व अनुशंसा सहित प्रस्तुत है।

33. <u>Case No 10453/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL</u> (प्रबंधक संभागीय (कार्यालय भोपाल, **<u>172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Sirwali Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (3750 cum per year) (Khasra No. 17), Village-Sirawali, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी श्री पंकज वानखड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल, 72 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	17 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.

703वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर 2023

स्थल	Village Sirawali, Tehsil Kurwai, District Vidisha (M.P.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बेतवा नदी में स्थित है, जिसमें पानी का भराव देखा गया। परन्तु खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 2025 दिनांक 10/10/23 के माध्यम से अवगत कराया गया कि नदी गर्मियों में सूख जाती है तथा चाही गई मात्रा में रेत का उत्खनन किया जा सकता है। एकल प्रमाण पत्र में नदी का नाम सगड़ दर्शाया गया है, जो गलत है। अतः उक्त को सुधार कर एकल प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जावेगा।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–3750 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3750 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 05/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिरावली जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 13/07/23 अनुसार उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया कि उक्त खदान जो कि लरेठी (कुरवाई) स्टॉप डेम से पूरे 12 महीने लगभग 50 फीट पानी में डूबी रहती है और यहॉ पर किसी भी प्रकार ओपन रेत नहीं है । यदि यह रेत खदान फिरभी नीलाम की जाती है तो पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–37 के सरल क्रमांक–1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–3750 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3750 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय

	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

अध्यक्ष महोदय् की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दू :–

निम्न प्रकरणों में समिति द्वारा शुद्धिपत्र जारी करने की अनुशंसा की गई।

34. <u>Case No 10668/2023 Shri Vinod Kumar Agrawal, Proprietor, M/S VINOD KUMAR AGRAWAL, 7/26, civil lines Tilak ward, Mandla (M.P.) Prior Environment Clearance for Kakaiya Dolomite Mine in an area of 6.81 ha. (Expansion from Dolomite-17000 TPA to 1,21,282 TPA and Mine Waste-6937TPA) (Khasra No. Old Khasara no. 1472/2, 1472/3, 1472/4, 1473/1, 1473/2, 1474 & 1475, New Khasra No. 415, 394, 395, 396, 397, 414, 398), Village-Kakaiya, Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक ने समिति के संज्ञान में लााया है कि उनका प्रकरण समिति की 696वीं बैठक दिनांक 22/11/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ईआईए तैयार करने हेतु टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिमसें (Dolomite-17000, Mine Waste-6937 TPA) उल्लेखित है, जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता डोलोमाइट–17,000 टीपीए से 1,21,282 टीपीए एवं माइन वेस्ट–6,937 टीपीए है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत पूर्व 696वीं बैठक दिनांक 22/11/2023 में अनुशंसित टॉर में उत्पादन क्षमता Dolomite-17000, Mine Waste-6937 TPA के स्थान पर **डोलोमाइट–17,000 टीपीए से 1,21,282 टीपीए एवं माइन वेस्ट–6,937 टीपीए** पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

35. **Case No 10683/2023 Shri Hiralal Patidar, Lessee, R/o Village-Dharad, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457441, Prior Environment Clearance for Naugawakala Murrum Quarry in an area of 4.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 3/11), Village-Naugawan Kalan, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)**

परियोजना प्रस्तावक ने समिति के संज्ञान में लाया है कि उनका प्रकरण समिति की 698वीं बैठक दिनांक 07/12/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ईआईए तैयार करने हेतु अनुशंसित टॉर के शीर्षक में मुरम–4,000 एवं पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष अंकित है जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता मुरम–25,000 घनमीटर/वर्ष है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत समिति ने पूर्व की 698वीं बैठक दिनांक 07/12/2023 में अनुशंसित टॉर के शीर्षक में मुरम–4,000 एवं पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर मुरम–25,000 घनमीटर/वर्ष पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।